

## सहायक कलेक्टर भरतपुर, भरतपुर

प्रकरण सं. दावा / 101 / 2013

दर्ज दिनांक:- 20.09.2013

1. बृजलाल पता-

.....प्रार्थी

बनाम

2. राजेन्द्रसिंह पता-

.....अप्रार्थीगण

उपस्थित:

प्रतापसिंह

प्राथी अभिभाषक

अप्राथी अभिभाषक

निर्णय

दिनांक:-07.02.2018

यह दावा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 आरटीए के अंतर्गत पेश होने पर दर्ज किया गया। पत्रावली पेश हुई। वादी व उनके वकील को बार-बार आवाज लगवाई गई किन्तु उपस्थित नहीं आए। ऐसी स्थिति में दावा वादी अदम हाजिरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दा.द.हो।

(पुष्कर कुमार मित्तल)

आर.ए.एस.

सहायक कलेक्टर, भरतपुर

Copy - Not Official